



भारत सरकार
(विद्युत मंत्रालय)
नागरिकों/ग्राहकों के लिए चार्टर
2013-2014

पता
वेबसाइट
जारी करने की तिथि
अगली समीक्षा

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली
www.powermin.nic.in
अगस्त, 2014
दिसंबर, 2014

भारत सरकार (विद्युत मंत्रालय) नागरिकों/ग्राहकों के लिए चार्टर-2013-14

विजन मिशन

विजन

सभी के लिए उचित मूल्य पर विश्वसनीय, पर्याप्त और गुणवत्तायुक्त विद्युत

मिशन

विद्युत मंत्रालय, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने और गुणवत्तापूर्ण विद्युत के प्रति लोगों की, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए देश में विद्युत संबंधी आधारभूत सुविधाओं का एकीकृत विकास करने के लिए आवश्यक सहायता और सक्षम नीतिगत कार्यवाही प्रदान कर अपने विजन को हासिल करने की अपेक्षा रखता है।

मुख्य सेवाएं/लेन-देन

क्रम सं.	सेवाएं/लेन-देन	भार %	उत्तरदायी व्यक्ति (पदनाम)	ई-मेल	मोबाइल (फोन नं.)	प्रक्रिया	अपेक्षित कागजात	शुल्क		
								श्रेणी	प्रकार	राशि
1	ताप विद्युत परियोजनाओं को अंतिम मेगा पावर का दर्जा प्रदान करने के लिए समय से प्रक्रिया करना/निर्णय लेना/अनंतिम मेगा प्रमाण-पत्र प्रदान किए जा चुके आवेदकों को निर्णय के बारे में समय से जानकारी देना।	15	श्री मुकेश जैन (संयुक्त सचिव)	mukeshjainips@gmail.com	(23714367)	प्रमाण-पत्र जारी करना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						विकासकर्ता से आवेदन प्राप्त करना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						आई पी सेल द्वारा आवेदन की जांच और अपेक्षित कागजात, यदि कोई हों, तो उन्हें प्राप्त करना	अंतिम मेगा पावर का दर्जा प्रदान करने के लिए अनंतिम मेगा प्रमाणित परियोजनाओं से अपेक्षित कागजात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

मुख्य सेवाएं/लेन-देन

क्रम सं.	सेवाएं/ लेन- देन	भार %	उत्तरदायी व्यक्ति (पदनाम)	ई-मेल	मोबाइल (फोन नं.)	प्रक्रिया	अपेक्षित कागजात	शुल्क		
								श्रेणी	प्रकार	राशि
							<p>i) 15 परियोजनाएं जो उन राज्यों में स्थित हैं जिनके पास विनियमित प्रशुल्क के अंतर्गत पीपीए की अनिवार्य मेजबान राज्य विद्युत व्यवस्था नीति विद्यमान है, डिस्कॉम/राज्य द्वारा निर्दिष्ट एजेंसी के साथ दीर्घावधि पीपीए के अंतर्गत संबंधित विनियामकों द्वारा अनुमोदित, प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से संस्थापित क्षमता/निवल क्षमता के कम से कम 65% के लिए और विशिष्ट मेजबान राज्य नीति के अनुसार विनियमित प्रशुल्क के अंतर्गत संस्थापित क्षमता/निवल क्षमता के 35% तक, जैसा भी मामला हो, व्यवस्था करने के लिए पीपीए के समर्थन में अपेक्षित कागजात।</p> <p>ii) शेष 10 परियोजनाओं के लिए, जो विनियमित प्रशुल्क के अंतर्गत अनिवार्य पीपीए की व्यवस्था करने की मेजबान राज्य की नीति द्वारा प्रभावित नहीं है, परियोजना की क्षमता के कम से कम 85% के लिए अपेक्षित पीपीए (विनियामक द्वारा अनुमोदित) की प्रति।</p>			
						सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

मुख्य सेवाएं/लेन-देन

क्रम सं.	सेवाएं/लेन-देन	भार %	उत्तरदायी व्यक्ति (पदनाम)	ई-मेल	मोबाइल (फोन नं.)	प्रक्रिया	अपेक्षित कागजात	शुल्क		
								श्रेणी	प्रकार	राशि
2	विद्युत क्षेत्र में एफडीआई के लिए प्रस्तावों पर एफआईपीबी, वित्त मंत्रालय/बीईए को समय से टिप्पणियां भेजना।	8	श्री मुकेश जैन (संयुक्त सचिव)	mukeshjainips@gmail.com	(23714367)	सीईए से सिफारिशों की जांच करना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						आवेदनों को जांच के लिए सीईए को अग्रेषित करना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						डीईए से आवेदन प्राप्त करना	डीईए को कंपनी के ब्यौरे और वित्तीय स्थिति सहित आवेदन प्रस्तुत करने हैं।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

मुख्य सेवाएं/लेन-देन

क्रम सं.	सेवाएं/लेन-देन	भार %	उत्तरदायी व्यक्ति (पदनाम)	ई-मेल	मोबाइल (फोन नं.)	प्रक्रिया	अपेक्षित कागजात	शुल्क		
								श्रेणी	प्रकार	राशि
						डीईए को सिफारिश भेजना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	अंतर राज्यीय पारेषण लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के अंतर्गत केंद्र सरकार का अनुमोदन	5	श्री घनश्याम प्रसाद (निदेशक)	ghanshyam_prasad@yahoo.com	9968301928	सीईए की सलाह और संयुक्त सचिव (पारेषण) का अनुमोदन प्राप्त करना	पीजीसीआईएल द्वारा स्थायी समिति एलटीओए द्वारा स्कीम का अनुमोदन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भारत सरकार (विद्युत मंत्रालय) नागरिकों/ग्राहकों के लिए चार्टर-2013-14

मुख्य सेवाएं/लेन-देन

क्रम सं.	सेवाएं/लेन-देन	भार %	उत्तरदायी व्यक्ति (पदनाम)	ई-मेल	मोबाइल (फोन नं.)	प्रक्रिया	अपेक्षित कागजात	शुल्क		
								श्रेणी	प्रकार	राशि
4	अंतर राज्यीय पारेषण लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत केंद्र सरकार का अनुमोदन	5	श्री घनश्याम प्रसाद (निदेशक)	ghanshyam_prasad@yahoo.com	9968301928	आवेदक द्वारा सीईए को कागजात प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं और एक प्रति अवर सचिव (पीजी), विद्युत मंत्रालय द्वारा उचित माध्यम से प्राप्त की जाती है और भारत सरकार मुद्रणालय के माध्यम से गजट अधिसूचना जारी की जाती है।	राजपत्र अधिसूचना और प्रस्तावित पारेषण लाइन के संबंध में जनता की आपत्ति, यदि कोई है, आमंत्रित करते हुए आवेदक द्वारा जारी किए गए प्रेस प्रकाशनों की प्रतियां। आवेदक से मार्ग संरेखण, औचित्य सहित प्रस्तुत किया जाना और इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है कि उसे जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है अथवा उसने जनता की आपत्ति को शामिल किया है।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	आर-एपीडीआरपी के भाग-क एवं ख के अंतर्गत परियोजनाओं के संचालन समिति को प्रस्तुत किए जाने वाले पीएफसी द्वारा अग्रेषित सम्पूर्ण प्रस्तावों की प्रक्रिया	10	श्री कमलेश कुमार मिश्रा (उप सचिव)	kk.mishra@gov.in	8467870008	मंत्रालय में संचालन समिति डीपीआर स्वीकृत करती है।	भाग-क, भाग-ख और स्काडा परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) मानक फॉरमेट के अनुसार राज्यों/यूटिलिटीयों द्वारा तैयार की जाती हैं। नोडल एजेंसी पीएफसी अनुमोदित बेंचमार्क लागत के आधार पर इन डीपीआर की जांच करती है और फिर एपीडीआरपी संचालन समिति को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करती है। सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता वाली संचालन समिति डीपीआर का अनुमोदन करती है।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भारत सरकार (विद्युत मंत्रालय) नागरिकों/ग्राहकों के लिए चार्टर-2013-14

मुख्य सेवाएं/लेन-देन

क्रम सं.	सेवाएं/लेन-देन	भार %	उत्तरदायी व्यक्ति (पदनाम)	ई-मेल	मोबाइल (फोन नं.)	प्रक्रिया	अपेक्षित कागजात	शुल्क		
								श्रेणी	प्रकार	राशि
6	पीएफसी को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को भेजने के लिए समय से वित्तीय सहायता (आंतरिक वित्त के अनुमोदन से) जारी करना।	8	श्री कमलेश कुमार मिश्रा (उप सचिव)	kk.mishra@gov.in	8467870008	अनुमोदन के बाद मंत्रालय पीएफसी को ऋण जारी करता है जो आगे इसे संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को जारी करता है।	आर-एपीडीआरपी के कार्यान्वयन के लिए ऋण जारी करने हेतु पीएफसी द्वारा प्रस्ताव/दावे प्रस्तुत किए जाते हैं।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	अगले वित्तीय वर्ष के लिए विद्युत यूटिलिटीयों के विद्युत उत्पादन लक्ष्य का समय से अनुमोदन।	5	श्री घनश्याम प्रसाद (निदेशक)	ghanshyam_prasad@yahoo.com	9968301928	सीईए की सिफारिशों की जांच करना	सीईए से सिफारिशें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
8	अगले वित्तीय वर्ष के लिए कोयले की मांग और विद्युत की मांग का समय से अनुमोदन	5	श्री घनश्याम प्रसाद (निदेशक)	ghanshyam_prasad@yahoo.com	9968301928	सीईए की सिफारिशों की जांच करना	सीईए से सिफारिशें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भारत सरकार (विद्युत मंत्रालय) नागरिकों/ग्राहकों के लिए चार्टर-2013-14

मुख्य सेवाएं/लेन-देन

क्रम सं.	सेवाएं/लेन-देन	भार %	उत्तरदायी व्यक्ति (पदनाम)	ई-मेल	मोबाइल (फोन नं.)	प्रक्रिया	अपेक्षित कागजात	शुल्क		
								श्रेणी	प्रकार	राशि
9	अगले वित्तीय वर्ष के लिए विद्युत यूटिलिटीयों के संबंध में कोयला आयात के लक्ष्य का समय से संप्रेषण	5	श्री घनश्याम प्रसाद (निदेशक)	ghanshyam_prasad@yahoo.com	9968301928	सीईए की सिफारिशों की जांच करना	सीईए से सिफारिशें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
10	आरजीजीवीवाई के अंतर्गत आरईसी को निधि जारी करना	10	श्री कमलेश कुमार मिश्रा (उप सचिव)	kk.mishra@gov.in	8467870008	संयुक्त सचिव (आरई) के अनुमोदन से आरई विंग द्वारा जांच की गई और आईएफडी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						आईएफडी से सहमत प्रारूप के प्राप्त होने पर, स्वीकृति पत्र जारी किया जाता है।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भारत सरकार (विद्युत मंत्रालय) नागरिकों/ग्राहकों के लिए चार्टर-2013-14

मुख्य सेवाएं/लेन-देन

क्रम सं.	सेवाएं/लेन-देन	भार %	उत्तरदायी व्यक्ति (पदनाम)	ई-मेल	मोबाइल (फोन नं.)	प्रक्रिया	अपेक्षित कागजात	शुल्क		
								श्रेणी	प्रकार	राशि
						रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन से पूर्ण रूप से तैयार दावा प्रस्ताव की प्राप्ति	आरईसी से पूर्ण रूप से तैयार दावे की अपेक्षित पूछताछ, यदि कोई हो, के उत्तर सहित प्राप्ति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	आरजीजीवीवाई के डीडीजी घटक के अंतर्गत डीपीआर की स्वीकृति	8	श्री कमलेश कुमार मिश्रा (उप सचिव)	kk.mishra@gov.in	8467870008	निगरानी समिति का अनुमोदन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						कार्यान्वयन एजेंसियां आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी, रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) को डीपीआर प्रस्तुत करती हैं। प्रस्ताव की आरईसी द्वारा जांच की जाती है और इसे कार्यान्वयन सहायक समूह (आईएसजी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।	आरईसी द्वारा प्रस्ताव की प्राप्ति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भारत सरकार (विद्युत मंत्रालय) नागरिकों/ग्राहकों के लिए चार्टर-2013-14

मुख्य सेवाएं/लेन-देन

क्रम सं.	सेवाएं/लेन-देन	भार %	उत्तरदायी व्यक्ति (पदनाम)	ई-मेल	मोबाइल (फोन नं.)	प्रक्रिया	अपेक्षित कागजात	शुल्क		
								श्रेणी	प्रकार	राशि
						आईएसजी डीपीआर की समीक्षा करता है और निगरानी समिति से इसकी स्वीकृति की सिफारिश करता है।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
12	ऑनलाइन प्राप्त लोक शिकायतों पर कार्रवाई	5	श्री आर. चतुर्वेदी (उप सचिव)	chaturvedi.r@nic.in	(23711712)	शिकायत को विद्युत मंत्रालय में संबंधित अनुभाग/डिवीजन और संबद्ध कार्यालय/संगठन/इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन पीएसयू को ऑनलाइन अग्रेषित करना।	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
13	डाक द्वारा प्राप्त लोक शिकायतों पर कार्रवाई	6	श्री आर. चतुर्वेदी (उप सचिव)	chaturvedi.r@nic.in	(23711712)	डाक द्वारा पावती भेजना	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भारत सरकार (विद्युत मंत्रालय) नागरिकों/ग्राहकों के लिए चार्टर-2013-14

मुख्य सेवाएं/लेन-देन

क्रम सं.	सेवाएं/लेन-देन	भार %	उत्तरदायी व्यक्ति (पदनाम)	ई-मेल	मोबाइल (फोन नं.)	प्रक्रिया	अपेक्षित कागजात	शुल्क		
								श्रेणी	प्रकार	राशि
						शिकायत को विद्युत मंत्रालय में संबंधित अनुभाग/डिवीजन और संबद्ध कार्यालय/संगठन/इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन पीएसयू को अग्रेषित करना।	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
14	लोक शिकायतों की लंबित निगरानी के लिए समीक्षा बैठकें	5	श्री सतीश कुमार (संयुक्त सचिव)	satish@arpg.nic.in	(23716020)	विद्युत मंत्रालय में संबंधित अनुभाग/डिवीजन और संबद्ध कार्यालय/संगठन/इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन पीएसयू को बैठक में भाग लेने के लिए परिपत्र जारी करना।	सीपीग्राम्स पर यथा उपलब्ध लंबित शिकायतों के संबंध में जानकारी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सेवा मानक

क्रम सं.	सेवाएं/लेन-देन	भार	सफलतासूचक	सेवा मानक	ईकाई	भार	आंकड़े का स्रोत
1	ताप विद्युत परियोजनाओं को अंतिम मेगा पावर का दर्जा प्रदान करने के लिए समय से प्रक्रिया करना/निर्णय लेना/अनंतिम मेगा प्रमाण-पत्र प्रदान किए जा चुके आवेदकों को निर्णय के बारे में समय से जानकारी देना।	15.0	सभी प्रकार से पूर्ण रूप से तैयार प्रस्ताव प्राप्ति की तिथि से लिया गया औसत समय	15	कार्य दिवस	15.00	मंत्रालय के रिकॉर्ड
2	विद्युत क्षेत्र में एफडीआई के लिए प्रस्तावों पर एफआईपीबी, वित्त मंत्रालय/बीईए को समय से टिप्पणियां भेजना।	8.0	सभी प्रकार से पूर्ण रूप से तैयार प्रस्ताव प्राप्ति की तिथि से लिया गया औसत समय	15	कार्य दिवस	8.00	मंत्रालय के रिकॉर्ड
3	अंतर राज्यीय पारेषण लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के अंतर्गत केंद्र सरकार का अनुमोदन	5.0	सभी प्रकार से पूर्ण रूप से तैयार प्रस्ताव प्राप्ति की तिथि से लिया गया औसत समय	45	कार्य दिवस	5.00	मंत्रालय के रिकॉर्ड
4	अंतर राज्यीय पारेषण लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत केंद्र सरकार का अनुमोदन	5.0	सभी प्रकार से पूर्ण रूप से तैयार प्रस्ताव प्राप्ति की तिथि से लिया गया औसत समय	90	कार्य दिवस	5.00	मंत्रालय के रिकॉर्ड
5	पीएफसी द्वारा संचालन समिति को प्रस्तुत किए जाने वाले आर-एपीडीआरपी के भाग-क एवं ख के अंतर्गत परियोजनाओं के अशेषित सम्पूर्ण प्रस्तावों की प्रक्रिया	10.0	सभी प्रकार से पूर्ण रूप से तैयार प्रस्ताव प्राप्ति की तिथि से लिया गया औसत समय	30	कार्य दिवस	10.00	मंत्रालय के रिकॉर्ड
6	पीएफसी को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को आगे भेजे जाने के लिए समय से वित्तीय सहायता (आंतरिक वित्त के अनुमोदन से) जारी करना।	8.0	सभी प्रकार से पूर्ण रूप से तैयार प्रस्ताव प्राप्ति की तिथि से लिया गया औसत समय	30	कार्य दिवस	8.00	मंत्रालय के रिकॉर्ड

सेवा मानक

क्रम सं.	सेवाएं/लेन-देन	भार	सफलतासूचक	सेवा मानक	ईकाई	भार	आंकड़े का स्रोत
7	अगले वित्तीय वर्ष के लिए विद्युत यूटिलिटीयों के विद्युत उत्पादन लक्ष्य का समय से अनुमोदन।	5.0	सभी प्रकार से पूर्ण रूप से तैयार प्रस्ताव प्राप्ति की तिथि से लिया गया औसत समय	15	कार्य दिवस	5.00	मंत्रालय/सीईए के रिकॉर्ड
8	अगले वित्तीय वर्ष के लिए कोयले की मांग और विद्युत की मांग का समय से अनुमोदन	5.0	योजना आयोग से पत्र की प्राप्ति की तिथि से लिया गया औसत समय	21	कार्य दिवस	5.00	मंत्रालय/सीईए के रिकॉर्ड
9	अगले वित्तीय वर्ष के लिए विद्युत यूटिलिटीयों के संबंध में कोयला आयात के लक्ष्य का समय से संप्रेषण	5.0	सभी प्रकार से पूर्ण रूप से तैयार प्रस्ताव प्राप्ति की तिथि से लिया गया औसत समय	15	कार्य दिवस	5.00	मंत्रालय/सीईए के रिकॉर्ड
10	आरजीजीवीवाई के अंतर्गत आरईसी को निधि जारी करना	10.0	दावे की प्राप्ति की तिथि से लिया गया औसत समय	25	कार्य दिवस	10.00	मंत्रालय के रिकॉर्ड
11	आरजीजीवीवाई के डीडीजी घटक के अंतर्गत डीपीआर की स्वीकृति	8.0	दावे की प्राप्ति की तिथि से लिया गया औसत समय	30	कार्य दिवस	8.00	मंत्रालय के रिकॉर्ड
12	ऑनलाइन प्राप्त लोक शिकायतों पर कार्रवाई	5.0	लिया गया औसत समय	10	कार्य दिवस	5.00	सीपीग्राम्स/मंत्रालय के रिकॉर्ड
13	डाक द्वारा प्राप्त लोक शिकायतों पर कार्रवाई	6.0	पावती के लिए लिया गया समय	03	कार्य दिवस	3.00	सीपीग्राम्स/मंत्रालय के रिकॉर्ड
			डिजिटलाइजिंग और ऑनलाइन भेजने के लिए लिया गया औसत समय	15	कार्य दिवस	3.00	सीपीग्राम्स/मंत्रालय के रिकॉर्ड
14	लोक शिकायतों की लंबित निगरानी के लिए समीक्षा बैठकें	5.0	समीक्षा बैठकों की संख्या	10	समीक्षा बैठकें	5.00	मंत्रालय के रिकॉर्ड

शिकायत निवारण प्रक्रिया

शिकायत दर्ज कराने के लिए वेबसाइट का यूआरएल <http://pgportal.gov.in/>

क्रम सं.	लोक शिकायत अधिकारी का नाम	हेल्पलाइन नम्बर	ई-मेल	मोबाइल नम्बर
1	श्री आर. चतुर्वेदी, उप सचिव	23711712	chaturvedi.r@nic.in	

भारत सरकार (विद्युत मंत्रालय) नागरिकों/ग्राहकों के लिए चार्टर-2013-14

पणधारियों/ग्राहकों की सूची

क्रम सं.	पणधारी/ग्राहक
1	राज्य यूटिलिटियां
2	विद्युत सीपीएसयू
3	विद्युत परियोजनाओं में निजी विकासकर्ता
4	भारत के नागरिक
5	कोयला मंत्रालय
6	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
7	योजना आयोग
8	वित्त मंत्रालय

उत्तरदायी केंद्र तथा अधीनस्थ संगठन

क्रम सं.	उत्तरदायित्व केंद्र तथा अधीनस्थ संगठन	दूरभाष संख्या	ई-मेल	मोबाइल नं.	पता
1	एनटीपीसी लि.	24360100	info@ntpc.co.in	उपलब्ध नहीं	स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003
2	एनएचपीसी लि.	1292277971	webmaster@nic.in	उपलब्ध नहीं	सेक्टर-33, फरीदाबाद (हरियाणा)
3	पावरग्रिड कारपोरेशन इण्डिया लि.	1242571800	sgupta@powergridindia.com	उपलब्ध नहीं	प्लॉट नं. 2, सेक्टर-29, गुड़गांव (हरियाणा)-122001
4	आरईसी लि.	24361562	reccorp@recl.nic.in	उपलब्ध नहीं	कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003
5	पीएफसी लि.	23456941	js_amitabh@pfcindia.com	उपलब्ध नहीं	ऊर्जा निधि, 1 बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली- 110001
6	एसजेवीएन लि.	1722670804	ak.mukharjee@sjvn.nic.in	उपलब्ध नहीं	इरकॉन, बिल्डिंग जीएफ, सी-4, जिला सेंटर, साकेत, नई दिल्ली
7	एनपीटीआई	0129227475	npti_hq@yahoo.co.in	उपलब्ध नहीं	एनपीटीआई कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-33, फरीदाबाद (हरियाणा)
8	सीपीआरआई	8023602457	dgcpri@cpri.in	उपलब्ध नहीं	सी.वी. रमन रोड, बंगलुरु-560080
9	टीएचडीसी इण्डिया लि.	1352431517	it@thdc.gov.in	उपलब्ध नहीं	गंगा भवन, प्रगति पुरम, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड-249201
10	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) (सांविधिक निकाय)	26102583	chair.cea@nic.in	उपलब्ध नहीं	सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली
11	दामोदर घाटी निगम (सांविधिक निकाय)	3323557935	chairman@dvc.gov.in	उपलब्ध नहीं	डीवीसी टावर, वीआईपी रोड, कोलकाता-700054

उत्तरदायी केंद्र तथा अधीनस्थ संगठन

क्रम सं.	उत्तरदायित्व केंद्र तथा अधीनस्थ संगठन	दूरभाष संख्या	ई-मेल	मोबाइल नं.	पता
12	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) (सांविधिक निकाय)	26178316	dg-bee@nic.in	उपलब्ध नहीं	चतुर्थ तल, सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली
13	बीबीएमबी (सांविधिक निकाय)	1725011750	cman@bbmb.chd.nic.in	उपलब्ध नहीं	मध्य मार्ग, सेक्टर-19 बी, चण्डीगढ़
14	एपटेल (संबंधित निकाय)	24368484	registrar-aptel@nic.in	उपलब्ध नहीं	कोर-4, सातवां तल, स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली
15	सीईआरसी (सांविधिक निकाय)	23753911	info@cercindia.gov.in	उपलब्ध नहीं	चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली

सेवा प्राप्तकर्ताओं से संकेतात्मक संभावनाएं

क्रम सं.	सेवा प्राप्तकर्ताओं से संकेतात्मक संभावनाएं
1	सभी संबंधित से विधिवत पूर्ण आवेदन पत्र प्रस्तुत करना।
2	राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन पर्यटन परियोजनाओं के लिए उन्हें दी गई केंद्रीय वित्तीय सहायता का सही ढंग से प्रयोग करना चाहिए और इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।
3	कृपया मंत्री के अधिकारियों के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से पेश आएं।
4	मंत्रालय के साथ पत्राचार और अपने पत्रों का उचित रिकॉर्ड रखें।
5	यदि मंत्रालय में किसी अधिकारी से आपने समय ले रखा है तो कृपया निर्धारित समय से 15 मिनट पहले आएं।
6	निर्धारित समय को रद्द करने के लिए कम से कम दो दिन पहले फैंक्स अथवा ई-मेल के माध्यम से लिखित सूचना भिजवाएं।
7	निर्धारित समय-सीमा के अनुसार निर्धारित फॉरमेट में रिपोर्ट भेजें।
8	नीतियों, कार्यक्रमों और प्रक्रियाओं के संबंध में अद्यतन रखने हेतु नियमित रूप से वेबसाइट देखें।
9	मंत्रालय की वेबसाइट पर डाले गए/उन्हें परिचालित किए गए प्रारूपों पर सुझाव/इनपुट दें।
10	राज्य के प्रतिनिधियों को सम्पूर्ण जानकारी के साथ सम्मेलन में भाग लेना चाहिए।
